# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25, रामगंगा विहार–प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष संख्या–0591–2450066)

पत्रांक / 141 दिनांक, मुरादाबाद, जनवरी, 24, 2019.

सेवा में,

श्री0 सतीश चन्द्र वर्मा,
उपमहा प्रबन्धक,सिटी एनर्जी लि0,
सी0एन0जी0 स्टेशन,ग्राम धनूपुरा,
14 कि0मी0 माईल स्टोन,एन0 एच0–24, मुरादाबाद।

विषयः– मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून मार्ग (मुरादाबाद–कांठ मार्ग) एस0सच0–49 कि0मी0 14 के चैनेज 13.552 से 13.600 की बॉयी पटरी पर ग्राम लदावली के खसरा सं0–242 में सिटी एनर्जी लि0,द्वारा विकसित किए जा रहे सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079664 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/72/2018/एफ0सी0/564 दि0 02–01–2019 जो इस कार्यालय को दिनांक 07–01–2019 को प्राप्त हुआ, पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/72/2018/एफ0सी0/587 दि0 23–01–2019.

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दि0 02–01–2019 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त सं0–1 से 10 तक के संबन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2501/11–सी0 दिनांक24–05–2016 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र सं0–384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दि0 14–09–2015 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये निर्देशानुसार वांछित सूचना/अभिलेख/प्रमाण पत्र **(5 प्रतियॉ मूल में)** तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस संबन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक वांछित धनराशि **रू0–27,500.00/–**) (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. (क) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत् में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के अनुसार निर्धारित वांछित धनराशि **रू0–49,870.00/–**) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कर पावती रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त आनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की आनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाय। तद्योपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांतर एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के मध्य की भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

5. पैट्रोल पम्प की चहारदीवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जायेगा। जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जायेगी।

**कमशः–2–**

Scanned by CamScanner

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये पैट्रोल पम्प के लाकेशन को दर्शाने वाले साइन बोर्ड/ मार्किंग समुचित स्थान पर लगायें जायें।

7. पैट्रोल पम्प सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्पलेक्स जिसमें सभी जन सुविधाएं यथा पार्किंग,शैचालय आदि उपलब्ध हों,का हिस्सा होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जायेगी ताकि सड़क किनारें वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुँच सके।

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम,कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

10. सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें।

छपानः– बाधक वृक्षों छपान हेतु धनराशि **(प्रमुख वन संरक्षक उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–प–105/16–57 (लाट) दिनांक 23–09–2014 के बिन्दु सं0– 2 में हुए संशोधन के अनुसार रू0–10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) 7 वृक्षों की वृक्ष दर 10/– रू0 प्रति वृक्ष ) 70/–** का बैंक ड्राफ्ट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,मुरादाबाद के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं /वचनबद्वता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत् विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक 1591 (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ।
2– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,मुरादाबाद वृत्त,मुरादाबाद।
3– सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।
4– क्षेत्रीय वनाधिकारी,मुरादाबाद।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

Scanned by CamScanner

शुद्धि पत्र

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

DM 2603
24-1-2019

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/72/2018/एफ.सी./587

दिनाँक: 23.01.2019

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/33064/2018)

**विषय: मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (मुरादाबाद–कांठ मार्ग) एस0एच0–49 किमी0 14 के चैनेज 13.552 से 13.600 की बांयी पटरी पर ग्राम लदावली के खसरा सं0–242 में सिटी एनर्जी लि0 द्वारा विकसित किए जा रहे सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079664 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

**सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–3623/14–2–2018–800(143)/2018 दिनांक–11.12.2018.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–02.01.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस संबंध में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–02.01.2019 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 में टंकण त्रुटिवश प्रभावित वृक्षों के दस गुना अर्थात् 70 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की शर्त अधिरोपित की गई थी जिसे संशोधित किया जाता है जो इस प्रकार है–

**शर्त संख्या–1** – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

**शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।**

भवदीय,

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. मुख्य वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मुरादाबाद।
5. जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
6. उप महाप्रबंधक सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद।
7. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश प्रत्रावली।

23.01.19

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

Scanned by CamScanner